प्रेषक,

करूणेश कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 *लखनऊ: दिनांक 17 सितम्बर, 2021*

विषय 15 अगस्त, 2021 (स्वतंत्रता दिवस) के अवसर पर केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी फिरोज तैय्यब तानाशाह पुत्र श्री तैय्यब तानाशाह, निवासी जनपद-ठाणे (महाराष्ट्र) की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-20788/प्रो0(6)/154/2021 दिनांक 11-08-2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी फिरोज तैय्यब तानाशाह पुत्र श्री तैय्यब तानाशाह, सी-19 परेरा कालोनी रूम नं0-04 नयागांव, तहसील-बसदी, जिला ठाणे महाराष्ट्र वर्तमान पता-वफा हिल अलमास कालोनी जी विंग थर्ड फ्लोर रूम नं0-301 कौसा मुम्ब्रा ओल्ड पुणे रोड, जनपद-ठाणे (महाराष्ट्र) का निवासी है। बंदी द्वारा दिनांक 23.10.2002 को अपने सहअभियुक्तों के साथ मिलकर हत्या कारित करने के सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने के लिये अग्नेयास्त्र पिस्टल व रिवाल्वर से सुसज्जित होकर विधि विरूद्ध समूह बनाकर बलवा किया और बन्दी सुरेश पाल सिंह की गोली मारकर हत्या तथा शिववरन सिंह, घनश्याम सिंह और सुनील को गोली मारकर घायल किये जाने की घटना कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-51/2003 में भा0द0वि0 की धारा-148, 332, 307/149, 302/149, 323/34 के अन्तर्गत मा0 विशेष न्यायाधीश (आव0व0अधि0), इटावा के आदेश दिनांक 25.02.2006 द्वारा मृत्युदण्ड से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश 21.09.2007 द्वारा आजीवन कारावास की सजा में परिवर्तित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 26.01.2020 तक 16 वर्ष 03 माह 01 दिन की अपरिहार सजा तथा 20 वर्ष 01 माह 25 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी की निर्धारित प्राविधानों के अनुसार आयु पूर्ण न होने के दृष्टिगत समिति द्वारा शासनादेश सं0-120/2021/1382/22-2-2021-07जी/2018, दिनांक 28 जुलाई, 2021 के प्रस्तर-2(ख) में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी फिरोज तैय्यब तानाशाह पुत्र श्री तैय्यब तानाशाह की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- अत: प्रकरण के मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित मिसलेनियस अप्लीकेसन सं0-868/2021 फिरोज तैयब बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 01.07.2021 से आच्छादित होने तथा उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी फिरोज तैय्यब तानाशाह (बन्दी संख्या-27864) पुत्र श्री तैय्यब तानाशाह, निवासी जनपद-ठाणे (महाराष्ट्र) की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है।

कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
करूणेश कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-168/2021/1584(1)/22-2-2021 तद्दिनांक....

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, जनपद-ठाणे (महाराष्ट्र)।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ ।
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
कृष्ण कुमार सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in